

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

मुकाम	
बनाम	विजुलिया
नं.	284
सन्	15/6/2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------

26/5/2020

अधिवक्ता वादी/प्राची द्वारा पत्र प्राप्त कर जज. किया जाकर प्रतिवादी/व्यक्ति दफ्तरी नं. में जारी हो पत्रावली दिनांक 14/6/2020 में जारी हो।

*B. J. Desai*  
उपखण्ड अधिकारी, देवली

14/6/2020

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट प्राप्त। अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली व तहसीलदार देवली की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय/आदेश पृथक से शामिल हो। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*B. J. Desai*  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

संख्या -284/2022

निर्णय दिनांक :- 14/6/2022

प्रार्थना पत्र:-

अर्जुनलाल पुत्र सुखपाल गुर्जर निवासी सरकावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष-


प्रार्थना-पत्र पत्थगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

## आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 7 खसरा नं 275 रकबा 3.28 है0 ग्राम सरकावास तहसील दूनी प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। उक्त भूमि का पड़ोसी खातेदार से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार सीमा विवाद नहीं है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में अंकित आराजी खाता संख्या 7 खसरा नं 275 रकबा 3.28 है0 ग्राम सरकावास तहसील दूनी की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु सम्बंधित तहसीलदार को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

  
(भारत भूषण गोयल)  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली